



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, झोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-22/2017-722 दिनांक :- 12.06.2018

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल/गुमला वन प्रमंडल/सिमडेगा वन प्रमंडल/लातेहार वन प्रमंडल/पाकुड वन प्रमंडल/गोड्डा वन प्रमंडल/जामताड़ा वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/दुमका वन प्रमंडल/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/जमशेदपुर वन प्रमंडल/साहेबगंज वन प्रमंडल/

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर वृक्षारोपण, गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं बाँस गैबियन वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 276.659 लाख (दो करोड़ छिहत्तर लाख पैसठ हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-36/2017 खण्ड-II-46/स्वी0 व0प0 राँची, दिनांक-27.02.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0 बजट-36/2017खण्ड-II-23 व0प0 दिनांक-26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102-समाज तथा फार्म वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 276.659 लाख (दो करोड़ छिहत्तर लाख पैसठ हजार नौ सौ रुपये)** मात्र मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102590103	229.129
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102590323	47.530
कुल :-		276.659

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क), 1(ख) एवं 1(ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क), 2(ख) एवं 2(ग) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या- 19S240601102590103 तथा 19S240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम संख्या-174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2017- 722 दिनांक- 12.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/पलामू, मेदिनीनगर/दुमका/हजारीबाग/बोकारो/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/गुमला/मेदिनीनगर/दुमका/देवघर/बोकारो/गिरिडीह/जमशेदपुर/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-22/2017- 722

दिनांक-12.06.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, राँची/गुमला/सिमडेगा/ लातेहार/ पाकुड़/गोड्डा/जामताड़ा/देवघर/दुमका/हजारीबाग/बोकारो/गिरिडीह/धनबाद/रामगढ़/जमशेदपुर/साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट पर रैखिक वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			166166.00	47804.50	213970.50
i	ii	vii	viii	ix	x
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	5	8.308	2.390	10.698
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	5	8.308	2.390	10.698
3	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	3	4.986	1.434	6.420
4	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	5	8.308	2.390	10.698
5	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	5	8.308	2.390	10.698
6	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	5	8.308	2.390	10.698
7	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	5	8.308	2.390	10.698
8	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	3	4.986	1.435	6.421
9	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	5	8.308	2.390	10.698
10	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	3	4.985	1.434	6.419
11	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	5	8.308	2.390	10.698
12	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	2	3.323	0.956	4.279
13	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	10.69	17.763	5.111	22.874
14	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	3	4.985	1.434	6.419
15	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	12	19.941	5.737	25.678
योग :-		76.69	127.433	36.661	164.094

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			26268.47	2515.00	28783.47
i	ii	vii	viii	ix	x
1	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	305.00	80.119	7.671	87.790
2	सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	60.00	15.761	1.509	17.270
योग :-		365	95.880	9.180	105.060

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			332.33	96.50	428.83
i	ii	vii	viii	ix	x
1	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	1750	5.816	1.689	7.505
योग :-		1750	5.816	1.689	7.505
सकल योग :-			229.129	47.530	276.659

प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2(क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंटीले तार घेरान के साथ (Multi Row with barbed wire fencing) नदी तट पर वृक्षारोपण की प्रति कि०मी० अनुसूचित कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 237.38

स्पेसिंग

पंक्ति से पंक्ति की दूरी-3मी०/2मी०
पौधे से पौधे की दूरी-3मी०/2मी०
प्रति कि० मी० पौधों की संख्या-6000

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(B) वित्तीय वर्ष 2018-19 में समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य एवं 70% ट्यूब वाले पौधों का क्रय, परिवहन इत्यादि।	6600 पौधा	45.00	10682.10	35854.50	46536.60
2	पौधा रोपण	प्रति कि०मी०	135.00	32046.30	0.00	32046.30
3	दो कोड़नी निकोनी	प्रति कि०मी०	150.00	35607.00	0.00	35607.00
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति कि०मी०	180.00	42728.40	0.00	42728.40
5	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	9450.00	9450.00
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति कि०मी०	0.00	0.00	1500.00	1500.00
7	पटवन, आवश्यकतानुसार	प्रति कि०मी०	180.00	42728.40	0.00	42728.40
8	घेरान मरम्मत	प्रति कि०मी०	10.00	2373.80	1000.00	3373.80
योग :-			700.00	166166.00	47804.50	213970.50

अनुलग्नक-(ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर प्रति हे०

योजना का नाम- अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण गैर-वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : ₹0 237.38

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(B) वित्तीय वर्ष 2018-19 में समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	21.50	5103.67	0.00	5103.67
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	8664.37	0.00	8664.37
3	दो कोड़नी एवं निकोनी	हे०	41.50	9851.27	0.00	9851.27
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2.00	474.76	0.00	474.76
5	पौधों की सुरक्षा	हे०	9.16	2174.40	0.00	2174.40
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00
योग :-			110.66	26268.47	2515.00	28783.47

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए योजना का नाम- पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस-गैबियन का आकार:6'-6"x2'-6"x2'-6"
- पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी0
- 3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 237.38 रु0
- पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी0

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 में)	सामग्री (रु0 में)	कुल व्यय (रु0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	पौधों का मूल्य, मृत पौधों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पौधों के प्रावधान के साथ स्थल पर ढुलाई सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	25.00	25.00	छ: फीट ऊँचाई के काष्ठ, फलदार एवं शोभाकार प्रजाति के Evergreen पौधे लगाए जाएंगे
2	गड्ढे में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.15	35.61	20.00	55.61	
3	पौधारोपण (DAP-50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.10	23.74	2.00	25.74	
4	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैबियन	0.15	35.61	4.50	40.11	
5	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	118.69	25.00	143.69	
6	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	118.69	0.00	118.69	
7	साईन-बोर्ड एवं गैबियन नंबरिंग	प्रति गैबियन	0.00	0.00	20.00	20.00	
	योग		1.40	332.33	96.50	428.83	

प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-22/2017P2/722

दिनांक - 12-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34108	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
2	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34109	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
3	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34110	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	498,600.00 रुपये चार लाख अठानवे हजार छः सौ

2,160,200.00

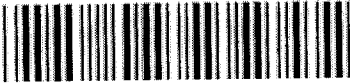
योग:

क्रमिक योग:

रुपये इक्कीस लाख साठ हजार दो सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DUMKANS(RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34111	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ 
5	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34112	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ 
6	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34113	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ 

योग:

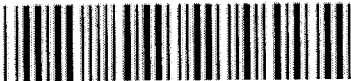
2,492,400.00

4,652,600.00

क्रमिक योग:

रुपये छयालीस लाख बावन हजार छः सौ


(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34114	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ 
8	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34115	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	498,600.00 रुपये चार लाख अठानवे हजार छः सौ 
9	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34116	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ 
योग:				2,160,200.00
क्रमिक योग:				6,812,800.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34117	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	498,500.00 रुपये चार लाख अठानवे हजार पाँच सौ
11	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34118	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O, BOKARO	830,800.00 रुपये आठ लाख तीस हजार आठ सौ
12	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34119	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	332,300.00 रुपये तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ

योग:	1,661,600.00
क्रमिक योग:	रुपये चौरासी लाख चौहत्तर हजार चार सौ
	8,474,400.00

(SHRI RATNAM SINGH)

PCCF, DABHAKHAN (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34120	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,776,300.00 रुपये सत्रह लाख छहत्तर हजार तीन सौ
14	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34121	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	498,500.00 रुपये चार लाख अठानवे हजार पाँच सौ
15	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34122	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,994,100.00 रुपये उन्नीस लाख चौरानवे हजार एक सौ

योग:

4,268,900.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ सत्ताइस लाख तीरयालीस हजार तीन सौ

12,743,300.00

(SHRI SAINAM SINGH)

PCCF, D. B. DHANBAD (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34123	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	8,011,900.00 रुपये अस्सी लाख ग्यारह हजार नौ सौ
17	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34124	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,576,100.00 रुपये पंद्रह लाख छहत्तर हजार एक सौ
18	S 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34125	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	581,600.00 रुपये पाँच लाख इकक्यासी हजार छः सौ

योग: 10,169,600.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड उन्तीस लाख बारह हजार नौ सौ 22,912,900.00


(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34126	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	239,000.00 रुपये दो लाख उनचासी हजार
20	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34127	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	239,000.00 रुपये दो लाख उनचासी हजार
21	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34128	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	143,400.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार चार सौ

योग:

621,400.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड पैतीस लाख चौतीस हजार तीन सौ

23,534,300.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.B. (ADHAR KANT) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34129	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
23	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34130	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				
24	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	34131	GDDFOR164 MANISH KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	239,000.00 रुपये दो लाख उनचालीस हजार
State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA				

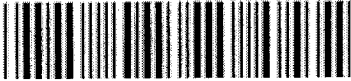
योग: 717,000.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड बयालीस लाख इकावन हजार तीन सौ 24,251,300.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, BAHAMANS RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34132	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	239,000.00 रुपये दो लाख उनचासी हजार 
26	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34133	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	143,500.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार पाँच सौ 
27	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34134	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	239,000.00 रुपये दो लाख उनचासी हजार 

योग: 621,500.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड अडतालीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ 24,872,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DUMKA (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34135	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	143,400.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार चार सौ
29	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34136	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	239,000.00 रुपये दो लाख उनवालीस हजार
30	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34137	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	95,600.00 रुपये पिनचानवे हजार छः सौ

478,000.00

योग:

25,350,800.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड तीरपन लाख पचास हजार आठ सौ



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DEWANGAN (S) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34138	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	511,100.00 रुपये पाँच लाख ग्यारह हजार एक सौ
32	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34139	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	143,400.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार चार सौ
33	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34140	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	573,700.00 रुपये पाँच लाख तीहत्तर हजार सात सौ

योग:

1,228,200.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड पैंसठ लाख उन्नासी हजार

26,579,000.00



(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.D.BADHAR(KHANS)RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34141	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	767,100.00 रुपये सात लाख सड़सठ हजार एक सौ
35	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34142	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	150,900.00 रुपये एक लाख पचास हजार नौ सौ
36	S 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	34143	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	168,900.00 रुपये एक लाख अड़सठ हजार नौ सौ

योग: 1,086,900.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड छहत्तर लाख पैंसठ हजार नौ सौ 27,665,900.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (ADHICAR) RANCHI